डा.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
सेक्टर–11 जानकी पुरम् विस्तार योजना, लखनऊ–226031

पत्रांकः डा0ए0पी0जे0अ0क0प्रा0वि0 / कुस0का0 / छा. क. / 2018 / 9814 दिनांकः 25/04/18

सेवा में

निदेशक / प्राचार्य
डा.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से संबद्ध समस्त संस्थान

विषयः डा.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से संबद्ध संस्थानों के छात्र–छात्राओं के छात्र कल्याण निधि के online uploaded शेष प्रकरणों के त्वरित निस्तारण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि डा.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से संबद्ध संस्थानों के छात्र–छात्राओं के छात्र कल्याण निधि प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिये कैम्प का आयोजन किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

परिसर	दिनांक	संस्था कोड	संस्था
अ0क0प्रा0वि0, नोयडा	03.05.2018	001–300 तक	गाजियाबाद, नोयडा, ग्रेटर नोयडा, मेरठ मंडल के सभी संस्थान
	04.05.2018	301–अन्त तक	
अ0क0प्रा0वि0, लखनऊ	07.05.2018	001– अन्त तक	गाजियाबाद, नोयडा, ग्रेटर नोयडा, मेरठ मंडल के संस्थानों को छोड़कर सभी संस्थान

समस्त संस्थाओं / छात्र–छात्राओं को अवगत कराना है कि अपने प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों जो निम्नवत् है–

1	Death certificate	2	Date of birth of the deceased
3	Income certificate of the deceased	4	Certificate of Income of living mother in case of death of father
5	Institute fee deposit receipt	6	MIS forms and University fee deposit receipt
7	Affidavit from the student	8	FIR (In case of accident)
9	Panchnama Report (in case of accident)	10	Post mortem report (in case of accident)
11	Police final report (in case of accident)	12	Disability certificate (if applicable)
13	NEFT mandate from bank	14	Duly filled undertaking and receipt form countersigned by Director / Principal (form attached)

की मूलप्रति एवं निदेशक / प्राचार्य से सत्यापित एवं प्रमाणित छाया प्रति की हार्ड एवं साफ्ट कापी (पेनड्राइव में) के साथ उपस्थित होकर प्रकरण निस्तारण कराने का कष्ट करें।

जिन छात्र–छात्राओं के सी के एन–1 या सी के एन–2 के प्रकरण संबंधी प्रपत्र, जनवरी माह में आयोजित कैम्प मे सफलता पूर्वक जमा हो चुके हैं ऐसे छात्र–छात्राओं को पुनः कैम्प में आने की आवश्यकता नहीं है।

साथ ही संस्था निदेशक/प्राचार्य से अनुरोध है कि अपनी संस्था के सी के एन से संबंधित समस्त छात्र–छात्राओं को अपने स्तर से भी सूचित करते हुये अपने किसी प्रतिनिधि को प्रकरण निस्तारण के लिये उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करें।

भवदीय

(प्रो0 ओ0 पी0 सिंह)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2- कुलसचिव , डा0ए0पी0जे0अ0क0प्रा0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ।
3- वित्त अधिकारी, डा0ए0पी0जे0अ0क0प्रा0वि0, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4- निदेशक, उ0प्र0इंस्टी. ऑफ डिजाइन, नोयडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5- श्री डी.सी. मिश्रा, सिस्टम मैंनेजर, डा0ए0पी0जे0अ0क0प्रा0वि0, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(प्रो0 ओ0 पी0 सिंह)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण